उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2013–14

विभूति राणा एवं अन्य ....अपीलकर्ता

बनाम

16/– रैयत, मौजा धावाटाँड़ ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

17/05/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2013–14 विभूति राणा एवं अन्य बनाम् 16/– रैयत, मौजा धावाटाँड, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 509/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा धावाटाँड़ के दाग सं0 467 परती कदीम में प्रधान द्वारा प्राप्त बन्दोबस्ती का सीमांकन हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इसपर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्रांक 264/रा0 दिनांक 20.04.2013 द्वारा समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेख है कि उक्त दाग में (1) हलधर राणा (2) अकलेश्वर राणा (3) बसन मांझी (4) दिनेश मांझी (5) महादेव मांझी (6) बद्री राणा (7) नकूल राणा (8) विभूति राणा द्वारा दो कठ्ठा जमींन पर तथा राधेश्याम राणा द्वारा पाँच कठ्ठा जमींन पर झोपड़ी, मकान, फुस का छावनी, ईटा का दीवार बनाकर दखल किया जा रहा है। इन्हें उक्त जमींन पर प्रधान द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती प्राप्त है एवं उक्त जमींन का सीमांकन अमींन द्वारा करा दिया गया है। 16/– रैयतों पर भी निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। किसी भी रैयत की ओर से किसी प्रकार आपत्ति नहीं है। किन्तु प्रतिवेदन में अपीलकर्त्तागण भूमिहीन है या नहीं, इस आशय का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागणों को प्रधान द्वारा मिली बन्दोबस्ती पट्टा के आधार पर मकान, झोपड़ी, ईंट का दीवार आदि बनाकर दखल किया जा रहा है। इस पर मौजा के रैयतों द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकत्ताओं के साथ की गई सीमांकन को स्वीकार नहीं किया गया है, जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुनर्विचार हेतु इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत जमींन का वर्त्तमान स्वरूप एवं अपीलकर्त्ता के हिस्से में कितनी जमींन है, के संबंध में अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्तकर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।